<u>**लोक सभा**</u>

अतारांकित प्रश्न संख्या 406

18 दिसंबर, 2017 को उत्तर के लिए

इस्पात संयंत्र की स्थापना

406. श्री एम. मुरली मोहन:

श्री वाई. वी. सुब्बा रेड्डी:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 में किए गए वादे के अनुसार वाईएसआर कडप्पा जिले में एक इस्पात संयंत्र स्थापित करने की संभावना के अध्ययन के लिए भारतीय इस्पात प्राधिकरण (सेल), राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल), एनडीएमसी और मेकॉन लिमिटेड के साथ मिलकर एक कार्य बल तैयार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त कार्य बल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और परिणाम क्या हैं और इस्पात संयंत्र को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

<u>**उत्तर**</u>

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री विष्णु देव साय)**

(क): आंध्रप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की 13वीं अनुसूची की शर्तों के अनुसार स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) द्वारा आंध्रप्रदेश राज्य के वाईएसआर कडप्पा जिले में एक एकीकृत इस्पात संयंत्र की स्थापना किये जाने की व्यवहार्यता जॉच की जानी अपेक्षित थी। सेल द्वारा दिनांक 2.12.2014 को प्रस्तुत की गई व्यवहार्यता रिपोर्ट के अनुसार इस्पात संयंत्र की स्थापना प्रथम दृष्ट्या वित्तीय दृष्टि से व्यवहार्य नहीं है। व्यवहार्यता संबंधी मुद्दों पर विचार करने तथा आंध्रप्रदेश और तेलंगाना में इस्पात संयंत्रों की स्थापना के लिए एक रोडमैप तैयार करने हेतु दिनांक 19.10.2016 को एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है जिसमें केन्द्रीय और राज्य सरकार, सेल, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल), एनएमडीसी लिमिटेड, मेकॉन लिमिटेड और एमएसटीसी लिमिटेड से प्रतिनिधि शामिल हैं।

(ख): जी नहीं।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

*****